B- 3 4
L- 38
Polity

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

- ब्रिटेन के संसदीय शासन में वीटो की परम्परा लगभग 300 वर्ष पहले समाप्त हो गई है क्योंकि इंग्लैण्ड में संसदीय सर्वोच्चता का विचार है तथा सम्राट नाममात्र का प्रधान है।

- जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है और राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है जिससे राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को नियंत्रित और संतुलित कर सकता है और भारत में संसदीय शासन होने के बावजूद राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है।

- भारत में राष्ट्रपति से यह अपेक्षा है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करे और संविधान में राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है जैसा कि राज्यपाल को दिया गया है इसके बावजूद राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है जहाँ वह मंत्रिपरिषद की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा।

- राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं-

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning KHAN SIR

1.) मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति पुनर्विचार की मांग कर सकता है। और यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद ने वही सलाह दोबारा दिया तो राष्ट्रपति उसे मान लेगा।

2.) संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है लेकिन व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद की अनुपस्थिति में अथवा कामचलाऊ सरकार के दौरान राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

3. विधेयकों पर वीटो का प्रयोग भी उनके विवेकाधीन शक्ति का उदाहरण है और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था जहां उन्होंने मंत्रिपरिषद की सलाह के बावजूद डाकघर संशोधन विधेयक पर कोई भी निर्णय नहीं किया।

4. राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा निलम्बनकारी वीटो का प्रयोग किया गया और लाभ के पद सम्बन्धी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा गया। यद्यपि संसद ने दोबारा यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जिस पर उन्होंने अनुमति दे दिया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Place
KHAN SIR

राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 24वाँ संविधान संशोधन लाया गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं करेगा।

- 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गाँधी ने अनुच्छेद 74 (1) में भी संशोधन कराया जिसके अनुसार, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी लेकिन जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को एक अतिरिक्त शक्ती दिया जिसके अनुसार, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पुनर्विचार की मांग कर सकता है।

निष्कर्ष :-

भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सम्बन्धों के लिए घर के दादा और युवा सदस्यों की उपमा दी जा सकती है और राष्ट्रपति की भूमिका दादा की भाँति है जबकि युवा सदस्य मंत्रिमण्डल के भाग हैं और यदि घर के युवा सदस्य शरारती हो जाए तो दादा असहाय हो जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

क्षमादान की शक्ति

प्रयोग

- राष्ट्रपति अनुच्छेद 72
- कार्यपालिका
- मंत्रिपरिषद
- गृहमंत्रालय

प्रकार

(A) क्षमा – किसी व्यक्ति के,
- सभी आरोप
- सभी दण्ड समाप्त कर दिए जाते हैं

(B) दण्ड को कम करना ⇒ (i) गुणात्मक परिवर्तन
(ii) मात्रात्मक परिवर्तन

गुणात्मक परिवर्तन – मृत्यु दण्ड से आजीवन कारावास में परिवर्तन लघुकरण कहलाता है।

मात्रात्मक परिवर्तन – (i) परिहार (Remission)
(ii) विराम (Respite) विशेष परिस्थिति जैसे – कैंसर, गर्भवती

(C) दण्ड के क्रियान्वयन को निलम्बित किया जाता है इसे प्रतिलम्बन कहा जाता है (Reprieve)

राष्ट्रपति

(i) क्षमा के 5 प्रकार
(ii) मृत्यु दण्ड को क्षमा करना
(iii) संघ सरकार की विषय पर क्षमादान का प्रयोग

राज्यपाल

(i) क्षमा के 5 प्रकार
(ii) मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदल सकता है।
(iii) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का

(iv) संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

विस्तार
(iv) राज्य सूची | समवर्ती सूची

• क्षमादान की प्रक्रिया

• संविधान में क्षमादान की किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मारूराम वाद में कहा -

(i) क्षमादान प्राप्त करना किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है अपितु राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा की गई कृपा है।

(ii) क्षमादान के लिए किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुनवाई नहीं होगी अपितु इसके लिए राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के समक्ष लिखित आवेदन देना होगा।

• क्षमादान के लिए कोई भी व्यक्ति अपना पत्र या याचिका राष्ट्रपति को संप्रेषित कर सकता है जिसे राष्ट्रपति गृहमंत्रालय को भेजता है और गृहमंत्रालय विधि और न्यायमंत्रालय से परामर्श लेकर कोई निर्णय करता है।

• संविधान में राष्ट्रपति के क्षमादान के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है जिसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान याचिकाओं के निस्तारण

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

दशकों लग गए। हाल ही में बलवंत सिंह राजौना के मामले में एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है क्योंकि बलवंत सिंह ने स्वयं कभी कोई क्षमा याचिका प्रस्तुत नहीं की बल्कि इसके लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने क्षमा के लिए आवेदन किया है।

क्षमादान कार्यपालिका अथवा न्यायालय की शक्ति

- शक्ति पृथक्करण की धारणा के अनुसार दण्ड देने का अधिकार न्यायालय का है जबकि क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति (कार्यपालिका) के हाथों में है परन्तु मृत्यु दण्ड की क्षमा याचिकाओं में होने वाले अनावश्यक विलम्ब के कारण व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ और व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया। इसीलिए मृत्यु दण्ड प्राप्त व्यक्तियों की सजा को उच्चतम न्यायलय ने लघुकरण करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया। हाल ही में बलवंत सिंह राजौना के मामले में भी यही मांग की जा रही है क्योंकि इसकी मृत्युदण्ड की सजा का क्रियान्वयन 10 वर्षों से नहीं हुआ है। (शत्रुघन सिंह चौहान वाद (2014) इसलिए यह कहा जाता है

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

कि मृत्यु दण्ड याचिकाओं के निस्तारण में राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए

क्षमादान की शक्ति पर न्यायपालिका का अंकुश

- क्षमादान राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है व्यक्तिगत शक्ति नहीं है।
- राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मनमानी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता अपितु इसके लिए बाकायदा तार्किक आधार विद्यमान होना चाहिए। अन्यथा न्यायालय इसे रद्द कर देगा (एपुरू सुधाकर वाद (2006)) अतः जाति धर्म या क्षेत्र के आधार पर क्षमादान असंवैधानिक है जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए और व्यक्ति विशेष की पृष्ठभूमि को देखते हुए किसी व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR